न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.113/अपील/2022 (GCMS No. 2024/88)	26.12.2022	03.03.2025

1. गिरिराज आ. रामकल्याण जाति महाजन, निवासी ग्राम देहित (मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–
1/1 सरस्वती देवी पत्नी गिरिराज महाजन, निवासी म.नं.99 तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा
1/2 पवन माहेश्वरी पुत्र गिरिराज महाजन, निवासी म.नं.99 तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा
1/3 राजेश कुमार पुत्र गिरिराज महाजन, निवासी म.नं.99 तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा
1/4 अमित कुमार जैथलिया पुत्र गिरिराज महाजन, निवासी म.नं.99 तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा
1/5 श्रीमती अन्जली लाहोटी पुत्री गिरिराज पत्नी लक्ष्मण लाहोटी, निवासी माताजी का मन्दिर, सदर बाजार, झालावाड़
1/6 श्रीमती रेखारानी माहेश्वरी पुत्री गिरिराज पत्नी सौरभ लखोटिया, निवासी धाबाईयों का चौक, लखोटियों की गली, बून्दी
2. रमेशचन्द आ. मदनगोपाल जाति महाजन, निवासी ग्राम देहित, तहसील तालेडा

– अपीलान्ट

बनाम

1. नटवरलाल आ. मोहनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. श्रीमती राधा पुत्री मोहनलाल पत्नी भगवान दान जाति महाजन निवासी झंवर बोरवेल सी.ए. हाउस के सामने, चित्तौड़ रोड, बून्दी
3. श्रीमती सुशीला पुत्री मोहनलाल निवासी 461, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा
4. सुरेशचन्द आ. बद्रीलाल जाति महाजन निवासी मकान नं. 930, महावीर नगर II, कोटा
5. श्रीमती शोभागबाई पुत्री बद्रीलाल निवासी बस स्टेण्ड के पास, यादवों का मोहल्ला, वार्ड सं. 19 झालरापाटन जिला झालावाड

जिला कलेक्टर; बून्दी

6. श्रीमती कमलाबाई पुत्री बद्रीलाल जाति महाजन निवासी लाल चौक, भूमिया मोहल्ला, के.पाटन, तह. के.पाटन, जिला बून्दी।
7. श्रीमती विमला बाई पुत्री बद्रीलाल जाति महाजन निवासी म.नं. जी–10, जवाहर नगर, कोटा
8. कन्हैयालाल पुत्र रमेशचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम देहित,
9. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार तालेडा
10. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक, तालेडा

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री कमलेश त्रिपाठी, एडवोकेट।
रेस्पो.सं.1, 2, 3, 6 की ओर से श्री विनय कुमार सक्सेना एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 4, 5, 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 28.05.1994 ग्राम देहित से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण वसीयत के आधार पर वसीयतगृहिता के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 113/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/280 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। इस दौरान अपीलांट सं.1 गिरिराज की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारियों को दिनांक 22.10.24 को रेस्पो.सं.1/1 लगायत 1/6 पर अपील में कायम मुकाम बनाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1849 रकबा 11 बीघा, ख.सं. 1986 रकबा 18 बिस्वा, ख.स. 1988 रकबा 13 बीघा, ख.स. 2199 रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा, ख.सं. 2246 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, ख.सं. 2332 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख.सं. 3098 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, ख.सं. 3259/1003 रकबा 19 बिस्वा, ख.सं. 3340/1944 रकबा 08 बिस्वा, ख.सं. 3536/1943 रकबा 08 बिस्वा, ख.सं. 3538/1944 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा,

जिला कलक्टर, बून्दी

कुल किता 11 कुल रकबा 69 बीघा 18 बिस्वा खातेदार बदरीलाल, सूरजमल, रामकल्याण, मदनगोपाल पि0 गोविन्दलाल कौम महाजन खातेदार दर्ज थे। खातेदार सूरजमल का देहान्त होने पर खातेदार बद्रीलाल द्वारा सादा कागज पर लिखी हुई वसीयत, जो रजिस्टर्ड एवं नोटेरीशुदा नहीं है तथा दो या अधिक साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित भी नहीं है, के आधार पर सूरजमल के हिस्से पर बद्रीलाल का नाम नामान्तरकरण सं. 839 दिनांक 28.05.1994 से दर्ज करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य एकत्रित किये तथा पीडित पक्षकारान के बयान दर्ज किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिलीभगत करके खोला है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(3) के प्रावधानों पर गौर नहीं कर उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी भूल की है, इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार सूरजमल की मृत्यु की कोई निश्चित दिनांक अंकित नहीं की गई है, ऐसे में वसीयत लिखते समय वसीयतकर्ता सूरजमल जीवित रहा हो, इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नहीं किया गया। हिन्दू कानून अनुसार लाऔलाद मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति उसके अन्य भाईयों में विभाजित होती है, इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण दर्ज करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट सं.1 गिरिराज के पिता रामकल्याण एवं अपीलांट सं.2 रमेशचन्द द्वारा सभी रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक वाद पत्र बंटवारा मकानात, कृषि भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम सं.2 बून्दी में दीवानी वाद सं.43/2012 बउनवान रामकल्याण बनाम मोहनलाल निर्णय डिक्री दिनांक 27.09.2022 में तनकी संख्या 4 ''आया गोविन्दलाल के पुत्र सूरजमल के विवादित सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता ब्रदीलाल को दिनांक 26.02.1991 को वसीयत कर वारिस बनाया'' प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाकर वसीयत को प्रमाणित नहीं माना है। चूंकि वसीयत को प्रमाणित एवं सिद्ध करने की अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत को सिद्ध नहीं माना है जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया था। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण सं. 839 दिनांक 28.05.1994 बेअसर एवं प्रभावशून्य है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही पक्षकारान को थी, उक्त आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से इस पर किसी भी समय आपत्ति उठाई जा सकती है। दीवानी न्यायालय के निर्णय डिक्री की नकल एवं नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई। दिनांक 12.11.22 से अपील प्रस्तुत करने का समय क्षमा योग्य है। इस हेतु विलम्ब शमन की याचना के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं आरएलडब्ल्यू 2012(1)

जिला कलक्टर, बून्दी

एससी पेज 63 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं पक्षकारान के पक्ष में पुनः नये सिरे से फोती नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 3 लगायत 6 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांटस द्वारा यह अपील नामान्तरकरण दिनांक 28.05.1994 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.12.2022 को पेश की गई है जो अत्यधिक विलम्ब से पेश हुई है, जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को प्रारम्भ से ही होना अपील मीमों में स्वयं अपीलांटस ने स्वीकार किया है। अपीलांटस द्वारा प्रारम्भ से ही जानकारी होने पर भी 28 वर्षो तक उक्त नामान्तरकरण को चुनौती नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया है। गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताये जाने से विलम्ब को क्षमा नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांटस द्वारा 28 वर्ष गुजर जाने के बाद अवधि बाधित अपील पेश की है, जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 3 लगायत 6 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया कि अपील विषयक आराजी बाबत सिविल न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील वर्तमान में लम्बित है। साथ ही वादग्रस्त आराजी पर अधिकार घोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में विचाराधीन है। जहां से पक्षकारान के हक अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारण होना है। अतः दौराने वाद इस अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरित है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 3 लगायत 6 ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2010 पेज 43 की नजीर पेश करते हुये अपील अपीलांटस खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट हुआ कि ग्राम देहित में विस्थित आराजी कुल किता 11 कुल रकबा 69 बीघा 18 बिस्वा भूमि के खातेदार मदनगोपाल, बदरीलाल, सूरजमल, रामकल्याण पि0 गोविंदलाल थे। खातेदार सूरजमल के फोत हो जाने पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण सं. 839 दिनांक 28.05.1994 मृतक सहखातेदार सूरजमल के हिस्से पर वसीयतगृहिता बदरीलाल के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं माना है, अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण खारिज किया जावे। जबकि रेस्पो. का कथन है कि वादग्रस्त आराजी बाबत उच्च न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से नामान्तरकरण बाबत यहां कोई निर्णय पारित नहीं किया जाकर अपील को मियाद बाहर होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली पर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 28.05.1994 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 21.12.2022 को 28 वर्ष गुजर जाने के बाद इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। यहां उल्लेखनीय है कि पक्षकारान के मध्य वसीयत को लेकर दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन रहा है, जो निर्णय डिक्री दिनांक 27.09.2022 से निर्णीत हो चुका है। साथ ही वादग्रस्त आराजी पर अधिकार घोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही होने पर भी हस्तगत अपील निर्धारित समयावधि में पेश नहीं की गई है जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आरआरडी 14.09. 2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed. प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में असफल रहे हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी